

सं.12013/13/2024-रा.भा.(का.-1)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

एन.डी.सी.सी.-II, भवन, बी-विंग
चौथा तल, जय सिंह रोड़
नई दिल्ली-110001
दिनांक: 7/09/2026

कार्यालय आदेश

राजभाषा विभाग के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामलों में प्राप्त दो आवेदनों पर विचार करने हेतु समिति का गठन किया गया था। समिति ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश कार्यालय ज्ञापन सं.-1667555281194, दिनांक 02 अगस्त, 2022 तथा गृह मंत्रालय द्वारा जारी 100 अंकों की मूल्यांकन पद्धति के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्राप्त कुल 02 आवेदन पत्रों की जांच पडताल की गई। समिति द्वारा की गई मीटिंग का कार्यवृत्त संलग्न है।

नरेश कुमार सेनी
(नरेश कुमार सेनी)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्वोत्तर), कमरा नं 302, तीसरा तल, सीजीओ भवन, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद-201001 (उ.प्र.)-कृपया श्रीमती मधु, पत्नी, स्वर्गीय श्री सुशील कुमार, अवर श्रेणी लिपिक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गाजियाबाद को सूचित करें।
2. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम), केन्द्रीय सदन, कमरा नं 601 ए, सेक्टर-10, 6वां माला, सीबीडी, बेलापुर, नवी मुंबई-400614-कृपया श्रीमती सीमा सुनील मालेकर, पत्नी, स्वर्गीय श्री सुनील अशोक मालेकर, एमटीएस, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, मुंबई को सूचित करें।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. सचिव, राजभाषा विभाग के प्रधान स्टाफ अधिकारी।

2. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग के निजी सचिव।

3. श्री प्रेम नारायण, उप सचिव (का.-1), राजभाषा विभाग, नई दिल्ली।

4. एनआईसी अनुभाग, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)।

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु समिति की बैठक का कार्यवृत्त

राजभाषा विभाग के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 07-07-2026 को अपराह्न को 16.00 बजे निदेशक (का.-2/सेवा) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया:-

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. ले. कर्नल रामनरेश शर्मा, निदेशक (का.-2/सेवा) | - | अध्यक्ष |
| 2. श्रीमती सतिन्दर कौर, उप सचिव | - | सदस्य |
| 3. श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक | - | सदस्य |

2. समिति के संज्ञान में लाया गया है कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.- 1667555281194, दिनांक 02 अगस्त, 2022 के तहत केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

3. गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या A-12012/01/2022-AD.II दिनांक 17 जून, 2022 द्वारा अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु 100 अंकों की मूल्यांकन पद्धति निर्धारित की गई है।

4. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशानुसार ग्रुप 'C' व 'D' के पदों में कुल सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों का अधिकतम 5% अनुकंपा आधार द्वारा भरा जाना है। इसका मुख्य उद्देश्य मृतक/चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के परिवार को आर्थिक तंगी से उबारने और उन्हें आपात स्थिति से निकालने में मदद करना है।

5. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2014 से 2024 तक सीधी भर्ती के समूह 'ग' एवं 'घ' के कुल 10 पद रिक्त हुए हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार एक भर्ती वर्ष में होने वाली रिक्तियों के आधार पर कुल 10 रिक्तियों का अधिकतम 5 प्रतिशत के हिसाब से 01 रिक्ति अनुकंपा के आधार पर भरी जानी है। इस संबंध में MTS की 01 रिक्ति अनुकंपा आधार पर निर्धारित की गई है।

6. राजभाषा विभाग के दिनांक 13.05.2026 के पत्र सं. 12013/13/2024-रा.भा.(का.-1) द्वारा अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश कार्यालय ज्ञापन सं.- 1667555281194, दिनांक 02 अगस्त, 2022 तथा गृह मंत्रालय द्वारा जारी 100 अंकों की मूल्यांकन पद्धति के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों सहित स्वच्छ आवेदन पत्र संबंधित कार्यालयों से माँगाए गए। दो आवेदकों के आवेदन पत्र व दस्तावेज समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किए गए :-

1. श्रीमती सीमा सुनील मालेकर, पत्नी, स्वर्गीय श्री सुनील अशोक मालेकर, एमटीएस, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, मुंबई।
 2. श्रीमती मधु, पत्नी, स्वर्गीय श्री सुशील कुमार, लिपिक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गाजियाबाद।
7. समिति को अवगत कराया गया है उपरोक्त दोनों आवेदक एमटीएस पद की भर्ती नियम के अनुसार शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हैं।

61/11/26

21/07/26

07/07/26

8. समिति द्वारा इस संबंध में प्राप्त कुल 02 आवेदन पत्रों व उपलब्ध सूचना की जांच गृह मंत्रालय के दिनांक 17 जून, 2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-A-12012/01/2022-AD-II में उल्लेखित मापदंडों के अनुसार की गई और पात्रता निर्धारित करने हेतु परिशिष्ट 1 व 2 के अनुसार (संलग्न) मूल्यांकन करने के पश्चात अंतिम रूप से ग्रेडिंग प्रदान की गई है:-

क्र. सं.	मृतक अधिकारी का नाम/पदनाम एवं कार्यालय	मृत्यु की तारीख	अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदक का नाम एवं मृतक के साथ उसका संबंध	ग्रेडिंग में प्राप्त कुल अंक
1.	स्वर्गीय श्री सुशील कुमार, अवर श्रेणी लिपिक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गाजियाबाद।	23-09-2017	श्रीमती मधु (पत्नी)	60
2.	स्वर्गीय श्री सुनील अशोक मालेकर, एमटीएस, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, मुंबई।	16-09-2021	श्रीमती सीमा सुनील मालेकर (पत्नी)	54

9. अतः उपरोक्त के आधार पर समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध 01 एमटीएस के पद पर निम्न आवेदनकर्ता की अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की सिफारिश की जाती है। अनुशंसा, आवेदक द्वारा सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने और दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन है:-

क्र. सं.	अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किए गए आवेदक का नाम एवं मृतक के साथ उसका संबंध	मृतक अधिकारी का नाम/पदनाम एवं कार्यालय	मृत्यु की तारीख	ग्रेडिंग में प्राप्त कुल अंक
1.	श्रीमती मधु (पत्नी)	स्वर्गीय श्री सुशील कुमार, अवर श्रेणी लिपिक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गाजियाबाद।	23-09-2017	60

(श्रीमति सतिन्दर कौर)
उप सचिव (शिकायत)
सदस्य

(श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त निदेशक (नीति)
सदस्य

(ले. कर्नल रामनरेश शर्मा)
निदेशक (का.-2/सेवा)
अध्यक्ष

भाग-ग

स्वर्गीय श्री सुशील कुमार अवर श्रेणी लिपिक, क्षेत्रीय कार्यालय, गजियाबाद का अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए 100 अंकों के पैमाने पर सापेक्ष योग्यता अंक मूल्यांकन।

क्रमांक	मापदंड		मापदंडों के लिए अंश/वर्ष अंक	उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक
1.	पारिवारिक पेशान (मंहगाई राहत और भत्ते को छोड़कर)	15,500/- प्रतिमाह	20	16
2.	सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को प्राप्त सेवांत लाभ अर्थात् एकमुश्त राशि।(अर्थात् डिप्सीआर ग्रेज्युटी, जीपीए/एनपीएस के तहत एकमुश्त राशि, सीजीईजीआईएस, छुट्टी नकदीकरण आदि।)	DCR- 6,18,699/- GPF-3,21,246/- CGEI-30,000/- छुट्टी नगदी- 0 कुल राशि-9,69,945/-	10	10
3.	कमाने वाले सदस्यों की वार्षिक आय और संपत्ति से आय	0	10	10
4.	अचल संपत्ति	120 गज का घर	10	02
5.	मृत सरकारी कर्मचारी की बची हुई सेवा DOJ-08.05.1995 DOB-12.07.1970 DOR-31.07.2030 DOD-23.09.2017	12 वर्ष 10 माह 14 दिन	15	07
6.	अविवाहित बेटियों की संख्या	01 (23 वर्ष)	10	05
7.	आश्रित नाबालिग बच्चों की संख्या	0	05	0
8.	यदि मृतक सरकारी कर्मचारी की पत्नी ने अपने लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया है।	हाँ	10	10
9.	यदि परिवार के आश्रित सदस्यों में से एक या अधिक व्यक्ति विकलांग है (% विकलांगता के साथ)	नहीं	10	0
	कुल प्राप्त अंक		100	60

श्रीमति सतिन्दर कौर
सदस्य

ले. कर्नल रामनरेश शर्मा
अध्यक्ष

श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव
सदस्य

भाग-ग
स्वर्गीय श्री सुनील अशोक मालेकर, एमटीएस, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई का अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए 100 अंकों के पैमाने पर
सापेक्ष योग्यता अंक मूल्यांकन।

क्रमांक	मापदंड		मापदंडों के लिए आंबटित अंक	उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक
1.	पारिवारिक पेंशन (मंहगाई राहत और भत्ते को छोड़कर)	16,000/- प्रतिमाह	20	16
2.	सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को प्राप्त सेवांत लाभ अर्थात एकमुश्त राशि। (अर्थात डिसीआर ग्रेच्युटी, जीपीएफ/एनपीएस के तहत एकमुश्त राशि, सीजीईजीआईएस, छुट्टी नकदीकरण आदि।)	DCR- 8,38,400/- GPF-25,39,271/- CGEI-30,000/- छुट्टी नगदी-4,19,200/- कुल राशि- 38,42,871/-	10	01
3.	कमाने वाले सदस्यों की वार्षिक आय और संपाति से आय	0	10	10
4.	अचल संपाति	0	10	10
5.	मृत सरकारी कर्मचारी की बची हुई सेवा DOJ-28.02.2001 DOB-03.02.1975 DOR-28.02.2035 DOD-16.09.2021	13 वर्ष 05 माह 18 दिन	15	07
6.	अविवाहित बेटियों की संख्या	0	10	0
7.	आश्रित नाबालिग बच्चों की संख्या	0	05	0
8.	यदि मृतक सरकारी कर्मचारी की पत्नी ने अपने लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया है।	हाँ	10	10
9.	यदि परिवार के आश्रित सदस्यों में से एक या अधिक व्यक्ति विकलांग है (% विकलांगता के साथ)	नहीं	10	0
	कुल प्राप्त अंक		100	54

श्रीमति सतिन्दर कौर
सदस्य

ले. कर्नल रामनरेश शर्मा
अध्यक्ष

श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव
सदस्य